# झारखंड में पारंपरिक स्वशासन : नीति और रीति

संवाद

संवाद, 301/ए, उर्मिला इन्क्लेव,
पीस रोड लालपुर, रांची - 834001

**प्रकाशन वर्ष** : 2014

**प्रति** : 1000 (एक हजार)

**प्रकाशक** : संवाद, 301/ए, उर्मिला इन्क्लेव, पीस रोड
लालपुर, रांची - 834001

**E-mail** : sarjomsamvad@gmail.com
**Web** : www.samvad.net

**Publication Support :** Indo-Global Social Service Society

**मुद्रक** : कैलाश पेपर कन्वर्सन प्रा. लिमिटेड

सीमित प्रसार

## समर्पण

उन लाखों-करोड़ों लोगों को जो आज भी अपने स्वशासन स्वावलंबन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आजीविका, आजादी और आनंद के औजार से नयी दुनिया गढ़ने को सारजोम (शाल वृक्ष) की तरह अड़े और खड़े हैं - संघर्ष के मैदान में!

# भूमिका

आदिवासी स्वशासन प्रणाली की प्रमुख अवधारणा ‘हमारे गांव में हमारा राज’ है। हालांकि देश की सत्ता ने हमेशा कोशिश की है कि पारंपरिक स्वशासन के प्रावधानों को लागू न किया जाये। परंतु आदिवासी समुदायों का यह दृढ़ विश्वास है कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था उनके हितों, जीवन, सम्मान, उनके अधिकारों व स्वशासित होने के उनके नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक कारगर औजार है।

पारंपरिक स्वशासन प्रणाली उस समय स्पष्ट रूप से सतह पर उभरी और संवैधानिक रूप से आदिवासियों के अधिकार उस समय इसके अभिन्न अंग बने जब वर्ष 1996 में भारत सरकार ने ‘पेसा’ कानून लागू किया। इस कानून को लागू करने का अभिप्राय एक ओर जहां पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों तक करना था, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना भी था।

आदिवासी समूहों का इतिहास ‘आत्म निर्णय’ व ‘स्व–शासन’ के संघर्ष–गाथाओं से परिपूर्ण है। आदिवासी समूह मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार व सम्मान स्व–शासन के जरिये ही स्थापित हो सकते हैं। इससे बेरोजगारी व पलायन यदि बंद न भी हुए तो कमी अवश्य आयेगी और उनको अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होगा। वस्तुतः

स्व–शासन प्रत्येक समुदाय का ऐसा अधिकार है जिसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। यह हवा और पानी के समान प्राकृतिक वरदान है जो मनुष्य मात्र के लिए सामाजिक यथार्थ है। किसी भी जनतंत्र की यह प्राण–वायु है। स्व–शासन से ही गांधी के ग्राम–स्वराज की स्थापना संभव है।

ज्ञातव्य है कि झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 32 वर्षों बाद 2010 में संपन्न हुआ। लेकिन चुनाव संपन्न होने के इतने वर्षों बाद भी पंचायती राज संस्थाएं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ क्रियाशील नहीं हो पायी हैं। इसका एक कारण इसके साझेदारों और पारंपरिक स्व–शासन प्रणाली के पदधारियों के बीच तालमेल का अभाव है। इस पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य समाजकर्मियों, पंचायती राज व्यवस्था के समस्त साझेदारों, ग्राम सभाओं और विशेषकर आदिवासी युवाओं को पारंपरिक स्व–शासन व्यवस्था के गुण–दोषों से अवगत कराना है ताकि 'पेसा' एक्ट के प्रावधानों तथा पारंपरिक स्व–शासन प्रणाली में तालमेल स्थापित कर 'हमारे गांव में हमारा राज' की अवधारणा को साकार किया जा सके।

**- शिशिर टुडू**

# पारंपरिक स्वशासन पद्धति

आदिवासी समुदायों में शासन की अपनी पद्धति प्राचीन काल से ही विकसित रही है। विविध कालखंडों में अनेक प्रशासनिक बदलावों के बावजूद झारखंड में आदिवासियों की अपनी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली कायम रही है जिसकी अपनी विशेषता है। आदिवासी समुदायों का अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक स्वशासन तंत्र है।

इन इलाकों में आदिवासियों की बसाहट या निवास को लेकर स्पष्टता से खास नहीं कहा जा सकता कि वे कब और कैसे आये और बसे आदि। मौखिक व अनुश्रुति परंपरा के मुताबिक मुंडा को प्रवजन के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। हो, संताल व भूमिज जैसे अन्य समुदाय कोलेरियन मुंडा ट्राइब की ही शाखा है। उरांव समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत से यहां बाद में आये। क्षेत्र के इलाकों में बसाहट को सुरक्षित सीमारेखा के रूप में पहचानने के लिए खूंटकट्टी व भुइंहरी जमीन व गांव के रूप में सीमांकन किया गया। बाद में आये दूसरे समुदायों को बराबरी का दरजा नहीं दिया गया और वे इन आदिवासी समुदायों के सहायक व अधीनस्थ के रूप में रहते रहे।

इन आदिवासी समुदायों की शासन पद्धति को लोकतांत्रिक भागीदारी की कसौटी पर बेहतर माना गया है। ऐतिहासिक रूप से यह पद्धति विविध कालखंडों में स्वतः प्राकृतिक रूप

से विकसित व परिवर्द्धित होती रही। इस प्रणाली में राजनीतिक मामलों के साथ–साथ आर्थिक व धार्मिक तत्व तो हैं ही, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी है। हरेक आदिवासी गांव–टोले में किसी न किसी तरह की ग्राम सभा है, जो गांव के दैनंदिन जीवन व गतिविधियों का संचालन करती है और इसके कर्ताधर्ता के रूप में कुछ प्रमुख लोग भी हैं। यह स्वशासन प्रणाली कई कठिन दौर से गुजरते हुए आज भी कायम है।

झारखंड में पारंपरिक पंचायतों को संयोजित कर पड़हा या परगना के रूप में विकसित किया गया है। उरांवों में पड़हा संगठन बेहद विस्तृत है, जबकि संतालों में परगना पंचायत में कई गांवों को समाहित किया गया है, वहीं हो समुदाय में मुंडा-मानकी प्रणाली के अंतर्गत एक बड़े प्रमुख के अधीन एक खास संख्या में गांवों को जोड़ा गया है। विविध स्तरीय यह प्रणाली विभिन्न इलाकों में अब भी प्रभावी है जहां सामूहिकता व समानता इसके प्राणतत्व हैं।

# संताल परगना क्षेत्र

संतालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था काफी प्राचीन है। अपने सामाजिक जीवन को सुरक्षित तथा संगठित रूप में चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासकीय एवं धार्मिक प्रधान होते हैं जो इस प्रकार हैं –

1. **मांझी :** मांझी गांव का प्रधान होता है। इनको गांव के अंदरूनी और बाहरी, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने के लिए गांव का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। मांझी को गांव का प्रशासनिक, न्यायिक अधिकार सहित लगान लेने का अधिकार है।
2. **परानीक :** परानीक भी ग्राम सभा का प्रमुख सदस्य है। इन्हें उप–मांझी का दर्जा प्राप्त है। मांझी की अनुपस्थिति में परानीक ही मांझी का काम देखता है। परानीक किसी अपराध के दंड का निर्धारण करता है। दंड वही माना जायेगा, जो परानीक द्वारा निर्धारित किया गया है।
3. **गोडेत :** गोडेत मांझी के संदेशवाहक का काम करता है। मांझी के कहने पर गांव में बैठक करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावे गांव के पूजा–पाठ में खजांची का काम करता है। चंदा उठाता है। पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सूचना देता है। गोडेत को पूरे गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रहती है।
4. **जोग–मांझी :** जोग–मांझी, मांझी का उप–सचिव होता

है। गांव के शादी–विवाह का हिसाब–किताब ‘जोग मांझी’ के पास ही रहता है। वह युवाओं का नेता भी है। शादी–विवाह, पर्व–त्योहार के अवसर पर वह युवा लड़के-लड़कियों के नेतृत्व के साथ उन पर निगरानी भी रखता है शादी–विवाह के विवादों में ‘जोग मांझी’ निर्णय सुनाता है।

5. **जोग–परानीक :** जोग परानीक उप जोग–मांझी होता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग–परानीक उसका कार्यभार संभालता है।

6. **भोग्दो प्रजा :** भोग्दो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख सज्जन या बूढ़े-पुरनिये होते हैं, जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार–विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक टोला में एक या दो भोग्दो प्रजा हो सकते हैं।

7. **लासेर टेंगोच् :** इसका शाब्दिक अर्थ है ‘तेज कुल्हाड़ी’। लासेर टेंगोच् मांझी का निकटतम व्यक्ति होता है और मांझी को परामर्श देता है। उसका तेज–तर्रार और बहिर्मुखी होना खास योग्यता है।

8. **नायके :** नायके गांव के धार्मिक पूजा–पाठ को संपन्न करता है तथा धार्मिक अपराधों के मामलों पर अपना निर्णय सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी–देवता हैं, उनकी पूजा–अर्चना करता है।

9. **कुडाम-नायके :** कुडाम-नायके, उप–नायके होता है। गांव के बाहर जितने भी देवी–देवता हैं उनकी पूजा–अर्चना

कुडाम नायके करता है।

10. **देस–मांझी/मोंड़े मांझी :** पांच से आठ गांवों के मांझियों पर एक 'देस–मांझी' होता है जो सामान्यतः परगना द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि किसी मामले का फैसला मांझी के स्तर पर नहीं हो पाता है तो उस मामले को मांझी द्वारा देस– मांझी के पास लाया जाता है और पांच से लेकर आठ मांझी मिलकर मामले का फैसला करते हैं। इनको 'मोड़े मांझी' भी कहा जाता है।
11. **परगनैत या परगना :** 15–20 गांवों के बीच एक परगनैत/परगना होता है। यह गांवों के मांझियों का प्रमुख होता है। जिस मामले को 'देस–मांझी' नहीं निपटा सकते वैसे मामले परगनैत/परगना के पास संबंधित गांव के मांझी द्वारा लाया जाता है।
12. **सुसारिया :** ये सभा को सुचारु रूप से चलाता है। यह पद सभी क्षेत्रों में नहीं है।
13. **चौकीदार :** यह मांझी के आदेश से आरोपी/अभियुक्त को पकड़कर गिरफ्तार करता है। यह पद पारंपरिक नहीं है।
14. **दिसोम–परगना :** कुछ क्षेत्रों में सभी परगनैतों के ऊपर एक 'दिसोम परगना' होता है। जब परगनैतों द्वारा कोई मामला निपटाया नहीं जा सकता है तो ऐसे मामलों को 'दिसोम–परगना' की सभा में निपटाया जाता है।

15. **लो-बीर :** 'लो-बीर' का आयोजन दो-तीन गांवों के आपसी विवाद को लेकर आमतौर पर वार्षिक शिकार (दिसोम सेंदरा) के समय किया जाता है और निर्णायक सभा शिकार स्थल पर होती है

## परिवार तथा गांव के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

परिवार तथा गांव के विवादों में पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के मांझी को विवाद के बारे में जानकारी देता है और इस विवाद को गांव वालों की सभा बुलाकर फैसला करने का आग्रह करता है।

विवाद के बारे में जानकारी मिलने के बाद 'मांझी' अपने 'गोडेत' के द्वारा अन्य पदधारियों (परानीक, जोग–मांझी, जोग–परानीक, नायके, कुडाम–नायके), एवं भोग्दो प्रजा, ग्रामीण तथा आरोपित पक्ष को सभा में उपस्थित होने की सूचना देता है।

सभा में शिकायतकर्त्ता, आरोपित पक्ष तथा गवाहों (यदि गवाह हों तो) से बात सुनने के बाद उपस्थित पदधारी एवं भोग्दो प्रजा मामले पर विचार–विमर्श करते हैं। विचार–विमर्श के बाद यदि किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस अपराध का दंड 'परानीक' सुनिश्चित करता है। दंड अपराध के ऊपर निर्भर करता है।

यदि किसी मामले को ग्रामीणों की सभा में नहीं निपटाया जा सका या आरोपित व्यक्ति दंड स्वीकार करने से इनकार करता

है तो ऐसे मामलों को संबंधित गांव के मांझी द्वारा देस मांझी (मोड़े मांझी) के पास भेज दिया जाता है।

यदि किसी मामले को 'देस मांझी' भी नहीं सुलझा पाता तो ऐसे मामलों को पुनः संबंधित गांव के 'मांझी' द्वारा ही 'परगनैत' के पास बढ़ा दिया जाता है।

## आपराधिक मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका तथा दंड

हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों को पारंपरिक नेतृत्व के द्वारा सुलझाया जाता है।

जब किसी आरोपित व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है तो अपराध के मुताबिक दंड तय किया जाता है। दंड कई प्रकार के हो सकते हैं।

अगर कोई गंभीर रूप से दोषी पाया जाता है या गंभीर अपराध करता है तो उसके मुताबिक बड़ा आर्थिक दंड दिया जाता है। 'जूरी' (विचार मंच में बैठे लोग) को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर दिये गये दंड में संशोधन करें।

आर्थिक दंड में दोषी पाये गये व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं हैं तो उसको समय दिया जाता है।

चूंकि आम तौर पर गांव के लोग समस्त स्थितियों से अवगत रहते हैं इसलिए किसी व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जाता है। वैसे गंभीर अपराधों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है।

## यौन अत्याचार के मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका तथा दंड

### यौन अत्याचार या बलात्कार

यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में पीड़ित महिला/लड़की या लड़की के पिता या अभिभावक सबसे पहले 'मांझी' को जानकारी देता है और बैठक बुलाकर संबंधित व्यक्ति को पीड़िता को सौंपने तथा दंड देने का आग्रह करता है।

बैठक में सभा द्वारा शिकायतकर्त्ता की बात सुनने के बाद आरोपित व्यक्ति से इसके बारे में सफाई मांगी जाती है तथा गवाहों से पूछ–ताछ की जाती है।

तीनों पक्षों को सुनने के बाद यदि आरोपित व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले (यदि दोनों राजी हों तो) उस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा जाता है। तमाम सबूतों के बावजूद यदि दोषी पाया गया व्यक्ति पीड़ित लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है तो इस मामले को 'देस मांझी/मोड़े मांझी' के पास ले जाया जाता है।

यदि 'देस मांझी'/'मोड़े मांझी' में भी इस मामले का फैसला नहीं हो पाता या अभियुक्त अपराध जानते हुए भी पीड़िता को पत्नी स्वीकार नहीं करता है तो इस मामले को परगनैत के पास भेज दिया जाता है।

### अवैध संतान

यदि संताल समुदाय की कोई कुंआरी लड़की का अवैध

गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में 'जोग मांझी' को इसके संबंध में सूचना दी जाती है। 'जोग मांझी' गांव में बैठक बुलाता है और अवैध संतान के पिता का नाम पीड़िता से पूछा जाता है। जब पीड़िता पिता का नाम लेती है साथ ही गवाहों से प्रमाणित हो जाता है तब उस लड़का को वह पीड़िता लड़की पत्नी के रूप में सौंप दी जाती है।

अगर पीड़िता किसी युवक या व्यक्ति को नहीं पहचान पाती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि संताली समाज में गांव को 'अपवित्र' हुआ माना जाता है। इसलिए गांव को पवित्र (आतो–साफा) करने के लिए पूजा–पाठ की सामग्री के रूप में खस्सी, चावल इत्यादि लड़की के परिवार से दंड स्वरूप लिया जाता है।

संताल समाज में जब कोई अवैध संतान पैदा होती है तो उस संतान के गोत्र का नामकरण 'जोग मांझी' के गोत्र पर कर दिया जाता है। यदि किसी कुंआरी लड़की का गर्भ रह जाता है और सम्पूर्ण कोशिशों के बाद भी आरोपी युवक को पकड़ा नहीं जा सका है तो ऐसे मामलों में लड़की का पिता किसी भी लड़के को उस लड़की को पत्नी स्वीकार करने का आग्रह कर सकता है लड़का-लड़की दोनों के राजी होने पर शादी कर दी जाती है। और अवैध संतान को विवाह करने वाले लड़के का गोत्र दे दिया जाता है।

ऐसे मामलों में लड़की का पिता लड़के को हर्जाने के तौर पर धन–संपत्ति देता है।

**बिटलाहा**

संतालों में यदि कोई व्यक्ति या परिवार किसी आरोपित मामले में अपराधी पाया जाता है और अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व (मांझी से लेकर परगनैत तक) उसे दंड सुनाते हैं लेकिन दंड स्वीकार करने या देने से व्यक्ति या परिवार इनकार कर देता है तो ऐसे मामलों में पूरा समाज/क्षेत्र उसका 'बिटलाहा' कर देता है। अब तक बिटलाहा से संबंधित जो मामले सामने आये हैं उनमें संताल लड़की का अन्य समाज के व्यक्ति से विवाह करने के मामले अधिक हैं।

'बिटलाहा' एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। इसमें एक 'परगनैत' की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। 'बिटलाहा' तब किया जाता है जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

'बिटलाहा' प्रथा बहुत पुरानी है जिसपर अब कानूनी तौर पर रोक लगायी जा चुकी है। इसमें गांव–गांव तथा क्षेत्र के मांझियों को बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने संताल समाज के रीति–रिवाज के विरूद्ध अपराध किया है और दंड स्वीकार करने से इनकार कर रहा है इसलिए उसका 'बिटलाहा' किया जाये।

'बिटलाहा' करने से पहले गांव–गांव से लोग जाकर अभियुक्त घोषित व्यक्ति/परिवार को समझाते हैं लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति/परिवार इनकार करता है तो पूरे क्षेत्र के लोग दिन, तारीख, समय तथा स्थान निश्चित करते हैं और बैठक कर उस गांव के मांझी को बुला कर कह दिया जाता है कि अमुक

व्यक्ति/परिवार का बिटलाहा किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पहले ही खबर किया जा चुका है। इस पर 'मांझी' कहता है - 'ठीक है अमुक हमारी प्रजा जरूर है लेकिन यदि दोषी है तो हम इस व्यक्ति/परिवार का बिटलाहा किये जाने की अनुमति देते हैं। लेकिन मेरा आपलोगों से यह आग्रह भी है कि उस परिवार को छोड़ कर अन्य परिवार को किसी प्रकार की भी क्षति न पहुंचे।'

लोग एक जुलूस लेकर जाते हैं और सबसे पहले उस घर का चूल्हा तोड़ते हैं। संताल समुदाय में चूल्हा तोड़ा जाना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है।

बिटलाहा के क्रम में पूरे परिवार को आतंकित किया जाता है। कभी–कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस परिवार में लूट–पाट के साथ–साथ घर–द्वार को उजाड़ दिया जाता है। संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है, गाय-बैल भगा दिये जाते हैं। वर्तमान कानून की दृष्टि में यह अपराध और गैर–कानूनी है।

## जमीन–जायदाद के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

संताल समुदाय में जमीन जीविका का मुख्य आधार है। इसलिए जमीन–जायदाद को लेकर भाई–भाई, परिवार और गांव–गांव के बीच विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

जमीन–जायदाद के विवादों को पारंपरिक पद्धति द्वारा मांझी–परगनैत ही निपटाते हैं।

जब कभी भी जमीन–जायदाद को लेकर किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है तो कोई एक पक्ष इस विवाद के बारे में संबंधित गांव के मांझी को जानकारी देता है। शिकायतकर्ता के अनुसार 'मांझी' गांव वालों की बैठक बुलाता है। विवादित मामले पर दोनों पक्षों तथा गवाहों से देखी तथा सुनी हुई बात की जानकारी प्राप्त करने के बाद बैठक में उपस्थित पदधारी तथा 'भोग्दो प्रजा' इस पर विचार–विमर्श करते हैं और जो भी उचित है, 'मांझी' फैसला के रूप में सुना देते हैं।

यदि 'मांझी' के निर्णय से कोई एक पक्ष या दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं तो इस विवाद को 'देस मांझी (मोड़े मांझी') को अग्रसारित कर दिया जाता है।

यदि 'देस मांझी' के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अंत में परगनैत के पास जाते हैं। पूर्व में (क्षेत्र में कोर्ट–कचहरी की स्थापना से पहले) कोई भी या किसी भी प्रकार का विवाद परगनैत तक पहुंचते–पहुंचते निपट जाता था। लेकिन वर्तमान में 'मांझी' से असंतुष्ट होने पर लोग सीधे कचहरी चले जाते हैं।

## ग्राम समुदाय में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाये रखने में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

संताल समुदाय में ग्राम समुदाय की सुरक्षा, एकता तथा शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी ग्रामीणों के साथ–साथ पारंपरिक नेतृत्व के जिम्मे मुख्य रूप से रहता है। इसलिए ग्रामीण समुदाय को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना, समुदाय में एकता तथा शांति बनाये रखना, पारंपरिक नेतृत्व का मूल कर्त्तव्य है।

## सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहार में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

चूंकि संताल समाज में 'मांझी' तथा अन्य पारंपरिक पदधारी गांव के प्रमुख लोग होते हैं और गांव में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, इसलिए संताली समाज के सामाजिक तथा धार्मिक एवं सभी पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की मुख्य भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में संताली समाज के सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहार मनाने का निश्चय पारंपरिक नेतृत्व के द्वारा ही किया जाता है। इनके बगैर पर्व मनाया ही नहीं जाता है।

## मांझी और परगनैत के बीच रिश्ता

मांझी परगनैत के अधीन काम करता है। परगनैत के आदेश का पालन करता है। पुराने–जमाने में मांझी द्वारा वसूला गया खजाना (लगान) परगनैत के यहां जमा किया जाता था परंतु वर्तमान में इसे मांझी द्वारा सीधे सी.ओ. के पास जमा किया जाता है। ❒

# पहाड़िया क्षेत्र

पहाड़िया आदिवासी मुख्य रूप से झारखंड के संतालपरगना क्षेत्र में निवास करते हैं। इतिहास के मुताबिक संतालपरगना क्षेत्र में संतालों से पहले पहाड़िया लोग बसे हुए थे। पहाड़िया तीन प्रकार के होते है :

(1) माल पहाड़िया

(2) कुमारभाग पहाड़िया

(3) सौरिया पहाड़िया

पहाड़िया समुदाय की पारंपरिक शासन व्यवस्था इस प्रकार है :

1. **मांझी :** मांझी गांव का प्रधान होता है। मांझी को खजाना (लगान) वसूलने सहित न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। कहीं–कहीं पर गांव में धार्मिक पूजा–पाठ भी मांझी द्वारा किया जाता है।
2. **गोडेत :** गोडेत मांझी का सहायक (सचिव) होता है। मांझी के आदेश पर गांव के किसी मामले पर गांववालों को बैठक के लिए बुलाता है।
3. **नायके :** गांव का धार्मिक पूजा–पाठ नायके करता है। धार्मिक रीति–विधि उल्लंघन से जुड़े अपराधों पर नायके के साथ विचार–विमर्श करने के बाद ही फैसला सुनाया जाता है।
4. **सरदार या नाईब :** 15–20 गांवों के मांझियों के ऊपर

एक सरदार या नाईब होता है। सरदार या नाईब के अधीन में ही मांझी काम करता है।

अंग्रेजों के शासनकाल में भी पहाड़िया समुदाय में मांझी, नाईब या सरदार को मान्यता मिली हुई थी जो अब भी जारी है।

## परिवार तथा गांव के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

परिवार तथा गांव के विवादों में पीड़ित व्यक्ति पहले गांव के 'मांझी' को विवाद के बारे में शिकायत करता है। इस प्रकार के विवाद का फैसला करने के लिए मांझी द्वारा गोडेत के माध्यम से गांववालों की बैठक बुलाकर किया जाता है।

बैठक में 'मांझी' सबसे पहले सभा के सामने 'शिकायत कर्त्ता' से पूछता है कि शिकायत किस लिए है। शिकायत सुनने के बाद आरोपित व्यक्ति से अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसके संबंध में, यदि गवाह हों तो, गवाहों से पूछा जाता है। तीनों पक्षों को सुनने के बाद मांझी, गोडेत नायके आपस में विचार–विमर्श के बाद यदि किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस अपराध के मुताबिक उसको दंड दिया जाता है। छोटे अपराधों में दंड स्वरूप दारू (शराब) लिया जाता है और बड़े अपराधों में दारू के साथ रुपया भी लिया जाता था। इस तरह के दंडों में अब वृद्धि की गयी है।

छोटे–मोटे मामलों को टोला स्तर पर मांझी के बगैर

भी कुछ बूढ़े लोग मिलकर निपटाते हैं। टोला स्तर पर यदि विवाद नहीं सुलझता है तब उस विवाद को मांझी के पास लाया जाता है।

यदि किसी विवाद को, विशेषकर गांव के विवाद को, मांझी के स्तर पर नहीं निपटाया जा सका तो उस मामले को मांझी के द्वारा ही सरदार या नाईब के पास भेज दिया जाता है। सरदार उस विवाद को निपटाने के लिए एक दिन, तारीख और स्थान सुनिश्चित कर बैठक बुलाता है। बैठक में विवाद से संबंधित गांव के साथ–साथ अन्य गांवों के मांझियों को भी बुलाया जाता है।

किसी भी विवाद या झगड़े में, जो ज्यादा गंभीर न हो, पहले समझौता कराने का प्रयास होता है। समझौते का प्रयास तीन बार तक होता है। तीसरी बार के समझौते के बाद भी यदि पुनः विवाद उठता है तो ऐसे मामलों में जुर्माना या दंड का ऐलान किया जाता है।

किसी भी मामले को मांझी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मांझी को कुछ शुल्क दिया जाता है। यह रकम शिकायतकर्ता द्वारा दिया जाता है। इस राशि से आमतौर पर किसी विवाद या मामले का फैसला सुनाने या समझौता कराने के बाद बैठक में उपस्थित पदधारीगण शराब पीते हैं। जबकि किसी भी विवाद पर विचार–विमर्श करने के लिए पूरे गांव के लोग उपस्थित होते हैं।

हत्या जैसे गंभीर मामलों को मांझी द्वारा पुलिस के पास भेजा जाता है लेकिन साधारण मार–पीट के मामलों को गांव

में मांझी द्वारा ही निपटाया जाता है। ऐसे मामलों में अपराधी पाये गये व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जुर्माना किया जाता है।

**यौन अत्याचार के मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका**

यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में पीड़ित महिला के पिता या पति द्वारा सबसे पहले गांव के मांझी को घटना के बारे में शिकायत की जाती है।

इसके बाद मांझी, गोडेत के माध्यम से गांववालों की बैठक बुलाता है। बैठक में शिकायतकर्त्ता से शिकायत सुनी जाती है। आरोपित पक्ष से भी इस मामले के बारे में अपना पक्ष रखने के लिये कहा जाता है। इस मामले में यदि कोई गवाह हो तो गवाहों से भी पूछताछ की जाती है।

तीनों पक्षों को सुनने के बाद सभा द्वारा यदि आरोपित व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उस लड़की (यदि लड़की राजी होती है तो) को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा जाता है। यदि दोषी पाया गया व्यक्ति सभा के फैसले को स्वीकार नहीं करता है तो इस मामले को सरदार या नाईब के पास ले जाया जाता है।

आमतौर पर सरदार के पास मामला पहुंचते–पहुंचते आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और पीड़ित को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। ऐसे मामलों पर पीड़ित महिला से भी राय ली जाती है।

यदि किसी की पत्नी के साथ ऐसी घटना घटती है तो ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर दोषी को दंड दिया जाता है। दंड कितना दिया जाय यह सभा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे मामलों में साधारणतया आर्थिक (रुपये और खस्सी इत्यादि) दंड ही दिया जाता है।

दंड की राशि प्राप्त हो जाने के बाद उस राशि से सभा के विचार–विमर्श में शामिल लोग आमतौर पर शराब पीते हैं। इसमें शिकायतकर्त्ता और दंडित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। इन दोनों से इस मामले को यहीं समाप्त करने के लिए कहा जाता है। इस मामले को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा न करने के लिए कहा जाता है और दोनों पक्षों को एक दूसरे के हाथों से शराब पिलवायी जाती है।

## जमीन–जायदाद के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

अन्य आदिवासी समुदायों के समान पहाड़िया आदिवासियों की जीविका का मुख्य आधार जमीन ही है। इसलिए जमीन–जायदाद को लेकर भाई–भाई, परिवार–परिवार और गांव–गांव के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता है। इन विवादों को गांव के पारंपरिक नेतृत्व, मांझी–सरदारों के द्वारा निपटाया जाता है।

किसी जमीन–जायदाद को लेकर जब दो पक्षों में विवाद हो जाता है तब इसमें से एक पक्ष इस विवाद के बारे में गांव के मांझी के पास शिकायत करता है। मांझी शिकायतकर्ता के

आग्रह पर गांव में बैठक या सभा गोडेत के माध्यम से बुलाता है। बैठक में शिकायतकर्त्ता और आरोपित व्यक्ति, दोनों से बात सुनी जाती है। गवाहों से भी इस संबंध में पूछा जाता है। तीनों पक्षों की बात सुनकर मांझी अपना फैसला सुनाता है।

यदि मांझी के फैसले से कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो इस मामले को सरदार/नाईब के समक्ष रखा जाता है। यदि कोई पक्ष सरदार के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होता तो आजकल लोग कोर्ट कचहरी भी जाते हैं। चार–पांच दशक पहले 'सरदार' तक में मामला सुलझ ही जाता था।

## गांव समुदाय में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाये रखने में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

गांव समुदाय में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाये रखने तथा बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का मूल कर्त्तव्य पारंपरिक नेतृत्व के साथ–साथ ग्रामीणों का भी है।

## लड़की को पैतृक जमीन मिलने का अधिकार

पहाड़िया आदिवासी समाज में लड़की को पैतृक जमीन नहीं दी जाती है। वह शादी के बाद पति के घर में चली जाती है। इसलिए उसको पति की जमीन पर उपभोग करने का अधिकार स्वतः मिल जाता है।

यदि लड़की अविवाहित अथवा तलाकशुदा हो और अपने भाईयों के साथ रहने की इच्छुक न हो तो ऐसी स्थिति में पैतृक जमीन में से कुछ अंश, जो भी ग्रामीण सर्वसम्मति से निश्चित

करते हैं, उसके जीवन निर्वाह हेतु तब तक के लिए देय होता है जब तक कि वह विवाह, पुनर्विवाह नहीं करती अथवा मर नहीं जाती है। भूमि के इस अंश को वह बिक्री नहीं कर सकती है।

यदि किसी व्यक्ति का कोई लड़का न हो, केवल लड़की ही हो, तो उस व्यक्ति के मरने के बाद जमीन के उत्तराधिकारी उसके निकट संबंधी होते हैं। संताल–परगना क्षेत्र में कहीं–कहीं पर संताली समाज के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने केवल लड़की के रहने पर 'घर जमाई' भी रखना शुरू किया है।

## सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

गांव के सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके ही नेतृत्व में पर्व–त्योहार को मनाने का दिन या तारीख निश्चित किया जाता है।

## मांझी और सरदार के बीच रिश्ता

मांझी सरदार के अधीन में काम करता है। सरदार के आदेश का पालन करता है।

## बाहरी लोगों से रिश्ता

पुराने जमाने में पहाड़िया गांव में जब कोई बाहरी आदमी किसी काम या धंधा से जाता था तो सबसे पहले गांव के मांझी से अनुमति लेनी पड़ती थी। ❒

# कोल्हान क्षेत्र

झारखंड के सिंहभूम (पूर्वी तथा पश्चिमी) जिले में 'हो' आदिवासी निवास करते हैं। हो आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही सिंहभूम के 'हो' बहुल क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है तथा वर्तमान में कुछ पदधारियों को सरकारी मान्यता भी प्राप्त है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी इस व्यवस्था को मान्यता दी गयी थी। 'हो' आदिवासियों की पारंपरिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित पद हैं :–मुंडा, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार, तीन मानकी, दिउरी , यात्रा दिउरी।

1. **मुंडा :** मुंडा गांव का प्रधान होता है। इसे प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान (मालगुजारी) लेने का अधिकार है। वह परती जमीन का बंदोबस्त कर सकता है।
2. **डाकुआ :** डाकुआ मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांववालों को किसी बैठक या मामले के बारे में सूचित करता है।
3. **मानकी :** लगभग 15–20 गांवों के मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। मानकी एक पीढ़ का प्रमुख होता है तथा मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान (मालगुजारी) वसूलता है। जब कोई विवाद मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है तो उसे मुंडा द्वारा मानकी के पास भेज दिया जाता है।

4. **तहसीलदार :** तहसीलदार मानकी का सहायक होता है। मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से मालगुजारी वसूलता है।
5. **तीन मानकी :** तीन मानकियों की एक समिति होती है। जब कभी कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है तो उसे तीन मानकियों की समिति बनाकर उसपर विचार–विमर्श कर सुलझाया जाता है।
6. **दिउरी :** दिउरी गांव के सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहारों में पूजा–पाठ करता है। साथ ही धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है।
7. **यात्रा दिउरी :** यात्रा दिउरी गांव के देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना करता है। धार्मिक अपराध के मामले में 'दिउरी' के साथ–साथ 'यात्रा दिउरी' को भी विचार–विमर्श में शामिल किया जाता है।

## परिवार तथा गांव के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

परिवार तथा गांव के विवादों या मामलों में पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के 'मुंडा' को ही विवाद या मामले की शिकायत करता है और आरोपित व्यक्ति को गांव वालों की सभा बुलाकर फैसला करने का आग्रह करता है।

विवाद के मामलों में जानकारी मिलने के उपरांत 'मुंडा' 'डाकुआ' के द्वारा आरोपित व्यक्ति के साथ–साथ गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बैठक के बारे में जानकारी देता है।

सभा में शिकायतकर्त्ता, आरोपित पक्ष तथा गवाहों की (यदि गवाह हो तो) बात सुनने के बाद उपस्थित पदधारी तथा पंचगण मामले पर विचार–विमर्श करते हैं। विचार–विमर्श के बाद यदि किसी का अपराध सिद्ध होता है तो उस अपराध का दंड निश्चित किया जाता है। दंड निश्चित होने के बाद 'मुंडा' द्वारा निर्णय सुना दिया जाता है। दंड अपराध के ऊपर निर्भर करता है।

## आपराधिक मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका तथा दंड

हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों को पारंपरिक नेतृत्व के द्वारा सुलझाया जाता है।

जब किसी आरोपित व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है तो अपराध के मुताबिक दंड तय किया जाता है।

अगर कोई गंभीर रूप से दोषी पाया जाता है या गंभीर अपराध करता है तो बड़ा आर्थिक दंड दिया जाता है।

आर्थिक दंड में यदि दोषी पाये गये व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसको समय दिया जाता है।

चूंकि आमतौर पर गांव के लोग सारी स्थितियों से अवगत रहते हैं इसलिए किसी व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जाता है। गंभीर अपराधों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है।

## यौन अत्याचार के मामले में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका तथा दंड

यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में पीड़ित महिला/लड़की या लड़की का पिता/भाई सबसे पहले 'मुंडा' को जानकारी देता है और बैठक बुलाकर संबंधित व्यक्ति को पीड़िता को सौंपने तथा दंड देने का आग्रह करता है।

बैठक में सभा द्वारा शिकायतकर्त्ता की बात सुनने के बाद आरोपित व्यक्ति से इसके बारे में सफाई मांगी जाती है तथा गवाहों से पूछ–ताछ की जाती है।

तीनों पक्षों को सुनने के बाद यदि आरोपित व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले, यदि दोनों के गोत्र अलग–अलग हों और दोनों राजी हों, तो उस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा जाता है। तमाम सबूतों के बावजूद यदि दोषी पाया गया व्यक्ति पीड़ित लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इंकार करता है तो इस मामले को मानकी के पास लाया जाता है।

यदि मानकी से भी इस मामले का फैसला नहीं हो पाता है या आरोपी अपराध मानते हुए पीड़िता को पत्नी स्वीकार नहीं करता है तो इस मामले को तीन मानकियों के पास भेज दिया जाता है। आम तौर पर तीन मानकी तक में मामला सुलझ जाता है।

## जमीन–जायदाद के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

'हो' लोगों में जमीन जीविका का मुख्य आधार है। इसलिए जमीन–जायदाद को लेकर भाई–भाई, परिवार–परिवार और गांव–गांव के बीच विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

जमीन–जायदाद के विवादों को मुंडा–मानकी ही निपटाते हैं। जब कभी भी जमीन–जायदाद को लेकर किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है तो कोई एक पक्ष इस विवाद के बारे में संबंधित गांव के 'मुंडा' को जानकारी देता है। शिकायतकर्त्ता के अनुसार 'मुंडा' गांव वालों की बैठक बुलाता है। बैठक में विवादित मामले पर दोनों पक्षों तथा गवाहों से देखी तथा सुनी हुई बात की जानकारी प्राप्त करने के बाद बैठक में उपस्थित पदधारी तथा ग्रामीण इस पर विचार–विमर्श करते हैं और जो भी उचित है 'मुंडा' फैसला दे देते हैं।

यदि 'मुंडा' के फैसले से कोई एक पक्ष या दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं तो इस विवाद को 'मानकी' को अग्रसारित कर दिया जाता है।

यदि 'मानकी' के फैसले से कोई या दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होते हैं तो अंत में 'तीन मानकी' के पास जाते हैं। पूर्व में (कोर्ट–कचहरी के पहले) कोई भी या किसी भी प्रकार का विवाद 'तीन मानकी' तक में निपटारा हो जाता था।

लेकिन वर्तमान में 'मुंडा' से असंतुष्ट होने पर लोग सीधे कचहरी चले जाते हैं।

## ग्राम समुदाय में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनाये रखने में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

'हो' लोगों में ग्राम समुदाय की सुरक्षा, एकता तथा शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी ग्रामीणों के साथ–साथ पारंपरिक नेतृत्व के जिम्मे मुख्य रूप से रहता है। इसलिए ग्रामीण समुदाय को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना, समुदाय में एकता तथा शांति बनाये रखना पारंपरिक नेतृत्व का मूल कर्त्तव्य है।

## सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

'हो' समाज में 'मुंडा' तथा अन्य पारंपरिक पदधारी गांव के प्रमुख लोग होते है और गांव में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। 'हो' समाज के सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्योहारों का निश्चय पारंपरिक नेतृत्व द्वारा ही किया जाता है।

## मुंडा–मानकी के बीच रिश्ता

मुंडा, मानकी के अधीन काम करता है। मानकी के आदेश का पालन करता है। पुराने–जमाने में मुंडा द्वारा वसूला गया खजाना (लगान) मानकी के यहां जमा किया जाता था परंतु वर्तमान में इसे मुंडा द्वारा सीधे सी.ओ. के पास जमा किया जाता है। ❐

# मुंडारी खूंटकट्टी क्षेत्र

मुंडा लोग देश के पुराने निवासियों में से एक हैं और कोलारियन कबीलों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद जिला इनका मुख्य निवास स्थान है। अपने समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन समय से ही इनकी अपनी पारंपरिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था रही है। इसी शासन व्यवस्था के द्वारा वे अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करते हैं।

मुंडाओं की पारंपरिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था और नेतृत्व इस प्रकार है–मुंडा, पाहन, पुजारी पाहन, महतो, पड़हा राजा, ठाकुर, दीवान, लाल, पांडे, पुरोहित, घटवार, चंवार डोलाइत, बरकंदाज, दरोगा।

1. **मुंडा :** गांव का प्रधान होता है। गांव की शासन–व्यवस्था में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। बाहरी कार्यों या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व मुंडा करता है। वह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक तथा सामाजिक कार्यों का दायित्व लेता है। गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है। गांव का मालगुजारी (लगान) वसूलता है और कर्मचारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में जमा करवाता है। आजादी से पहले वह अंचल कार्यालय के बदले अपने क्षेत्र के पड़हा राजा/ मानकी को तथा पड़हा राजा/ मानकी ठाकुर के माध्यम से

महाराजा को मालगुजारी देता था।

2. **पाहन :** मुंडा का सहायक होता है। मुंडा की अनुपस्थिति में पाहन ही गांव के सभी कार्यों को करता है।
3. **पुजारी पाहन :** गांव के पर्व–त्योहारों में पूजा–पाठ करता है। पुजारी पाहन के पूजा–पाठ बिना कोई भी धार्मिक पर्व–त्योहार संपन्न नहीं होता है।
4. **महतो :** मुंडा और पाहन का सहायक होता है। यह गांव में सूचना जारी करने का काम करता है। मुंडा के आदेश को समूचे गांव में या किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देना इसका प्रमुख काम है। गांव के बाहर की सूचना को भी मुंडा तक पहुंचाना इसका काम होता है। वह पुजारी पाहन को भी सहायता करता है।
5. **पड़हा-राज :** कई गांवों (लगभग 12 से 20) को मिलाकर जो संगठन बनता है उसे 'पड़हा' कहते हैं। पड़हा राजा पड़हा का प्रधान है। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पड़हा राजा को मानकी भी कहा जाता है। मुंडा क्षेत्र में पहले 12 पड़हा थे, लेकिन अब 22 पहहा हैं। जिन विवादों या मामलों को गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है, वैसे मामलों को अन्य सहयोगियों के साथ सुलझाना पड़हा राजा का काम होता है।
6. **राजा :** बाइस पड़हा में एक राजा होता है।
7. **ठाकुर :** पड़हा-राजा के कामों में सहयोग के लिए एक ठाकुर होता है। इसे सहायक भी कह सकते हैं।

8. **दीवान :** दीवान राजा का मंत्री होता है जो राजा के हुक्म को आगे अमल में लाता है। किसी सभा के लिए राजा दीवान को आदेश देता है और दीवान आगे की कार्रवाई करता है। दीवान दो प्रकार के होते हैं – गढ़ दीवान तथा राज–दीवान।

   क. **गढ़-दीवान :** यह गढ़ के अंदर के क्रिया कलापों में शामिल होता है।

   ख. **राज–दीवान :** राज दीवान गढ़ के बाहर के क्रिया कलापों में शामिल होता है।

9. **लाल :** ये सभा में बहस करने का काम करते हैं, जैसे – जिरह करना। एक प्रकार से वकील के समान होते हैं। लाल तीन प्रकार के होते हैं (क) बड़लाल (ख) मंझलाल (ग) छोटेलाल। ये तीनों 'लाल' निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

10. **पुरोहित :** यह शुद्धिकरण का कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी काम करता है, जो जाति या गोत्र के विरुद्ध होता है तब उसे दंड दिये जाने पर शुद्धिकरण के बाद ही समाज में दोबारा शामिल किया जाता है। दंड नहीं देने या न मानने पर उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।

11. **घटवार :** घटवार दंड में मिली सामग्री को बांटता है। दंड की सामग्री या रुपये–पैसे इसके जिम्मे रहता है।

12. **चंवार डोलाइत :** सभा में हाथ–पैर धुलाने का काम चंवार डोलाइत करता है।

13. **पान–खवास :** सभा में चूना–तंबाकू बांटने वाला व्यक्ति पान–खवास कहलाता है।

14. **सिपाही ( बरकंदाज ) :** दीवान के आदेश पर गांव–गांव में नोटिस तामील करना सिपाही या बरकंदाज का काम होता है।

15. **दरोगा :** सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण दरोगा करता है। यह सभा में आवेश में आनेवाले व्यक्तियों की जांच–पड़ताल तक करता है कि कहीं कोई हथियार तो नहीं छिपाया है।

16. **पांडेय :** यह सभा के कागज–पत्रों को रखने की जिम्मेदारी लेता है। यह राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है।

**अखड़ा** : अखड़ा में किसी भी समस्या से संबंधित बैठक होती है। साधारणतया अखड़ा गांव के बीच में और पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है। अखड़ा में सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से विचार–विमर्श होता है तथा नैतिकता एवं औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार के विचार से सभी लोग संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं। न्याय भी जल्दी और कम खर्च में मिल जाता है।

## परिवार तथा गांव के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

गांव का पीड़ित व्यक्ति या आपत्तिकर्त्ता गांव के 'मुंडा' को घटना की जानकारी देता है और आग्रह करता है कि गांव में सभा बुलाकर विचार किया जाए। तब गांव का 'मुंडा', 'महतो' को सूचित करता है कि ''घटना की जानकारी लो और सभा बुलाओ।''

सभा में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और जिरह किया जाता है। सभा में 'मुंडा' 'महतो' और गांव के बुजुर्ग उपस्थित रहते हैं। विचार–विमर्श के बाद यदि किसी का अपराध पाया जाता है तो 'मुंडा' अपने सहयोगी 'पाहन' और 'महतो' से सलाह लेकर दंड निश्चित करता है। दंड अपराध के स्तर को देखकर तय किया जाता है। छोटे अपराधों के लिए आर्थिक दंड होते हैं बड़े अपराधों के लिए समाज से बहिष्कार तक किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति दंड देने से इनकार करता है या कोई मामला गांव स्तर पर नहीं सुलझता है तब आस–पास के दो–तीन गांवों के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि फैसला नहीं हो पाता है तब 'पड़हा सभा' में फैसला करते हैं। इसके लिए गांव का मुंडा पड़हा राजा को जानकारी देता है और पड़हा राजा दीवान को बुलाकर मामले की जानकारी लेने का आदेश देता है। दीवान, पांडेय को सूचना जारी करने का आदेश देता है। सूचना को 'बरकंदाज या सिपाही'

गांव–गांव पहुंचाता है और सभा की तिथि की जानकारी देता है। इसके बाद सभा होती है। पड़हा-राजा के पास यदि विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तब 22 पड़हा-राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसे मानना ही पड़ता है अन्यथा 22 पड़हा सभा उसे 'जात–बाहर' की सजा भी दे सकता है। मुंडाओं में 22 पड़हा सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है।

## आपराधिक मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

हत्या जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का निपटारा पारंपरिक नेतृत्व के द्वारा सुलझाया जाता है। छोटे–मोटे मामलों को गांव में ही फैसला करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पड़हा-राजा की सभा में फैसला करने की कोशिश की जाती है। सबसे अंत में 22 पड़हा राजा की सभा के फैसले को मानना ही पड़ता है। आपराधिक मामलों में ज्यादातर आर्थिक दंड का प्रावधान है। जैसे को तैसा वाला फैसला नहीं सुनाया जाता है। फैसला मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

## यौन अत्याचार के मामलों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

यदि कोई लड़का अपने ही किसी गोत्र की लड़की का बलात्कार करता है तो लड़के को कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। यदि शादी का रिश्ता बनने लायक होता है तो लड़के को लड़की का जिम्मा लेना पड़ता है या लड़के का अपराध सिद्ध होने पर लड़की को लड़के के सुपुर्द किया जाता है। ग्राम

स्तर पर मामला नहीं निपटने पर पड़हा-राजा की सभा में यौन अत्याचार का फैसला सर्वमान्य होता है।

## विकास कार्यों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

विकास कार्यों के लिए मुंडा गांव में सभा बुलाता है। गांव के वयस्क सदस्य फैसला करते हैं कि गांव में किस स्थान पर सड़क की आवश्यकता है या गांव में कुएं की सफाई की जरुरत है या नहर की आवश्यकता है। छोटे–छोटे विकास के काम श्रमदान द्वारा ही किये जाते हैं। छोटे–बड़े काम दो–तीन गांव के लोग मिलकर श्रमदान द्वारा करते हैं।

## जमीन–जायदाद के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

गांव में जमीन–जायदाद के बंटवारे के लिए हकदार मुंडा को सूचना देता है। मुंडा अपने सहयोगी पाहन और महतो के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में जमीन का बंटवारा करता है। भाईयों में बराबरी का हिस्सा बांटता है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा गांव का मुंडा गांव में ही निपटाने का प्रयत्न करता है। गांव के आसपास के दो–तीन मुंडा भी जमीन जायदाद के विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मामला नहीं निपटने पर पड़हा राजा द्वारा सभा में मामला निपटाने का प्रयत्न किया जाता है और अंत में 22 पड़हा-राजा सभा में मामला निपटा ही लिया जाता है।

## धार्मिक पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

हर एक गांव में एक पुजारी पाहन होता है जो गांव के पर्व–त्योहारों की तिथि निश्चित करता है। पर्व की तिथि तय करते समय गांव के मुंडा, महतो, पाहन के अलावा गांव के बड़े-बुजुर्ग और वयस्क व्यक्ति भी बैठक में उपस्थित रहते हैं।

## मुंडा, पड़हा-राजा और राजा के बीच रिश्ता

मुंडा, गांव का विकास, सुरक्षा, झगड़ों का निपटारा और गांव के अन्य मामलों का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होता है। पड़हा-राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप तब तक नहीं करता है जब तक कि गांव का मुंडा पड़हा-राजा या राजा को आमंत्रित नहीं करता है। हालांकि कई मुंडाओं के ऊपर पड़हा-राजा होता है और पूरे पड़हा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पड़हा-राजा पर होती है।

## संपत्ति पर महिला का अधिकार

यदि कोई लड़की पिता के घर में अविवाहित (डींडा) रहती है तो उसे भरण–पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। परंतु वह उस जमीन को बेच नहीं सकती है। विधवा को पति की जमीन पर केवल भरण–पोषण का अधिकार होता है। वह भी जमीन बेच नहीं सकती है।

**महिलाओं को अन्य अधिकार :** मुंडा समाज में महिलाओं को मुंडा पद नहीं दिया जाता है। विचार-विमर्श में भी आमतौर पर उनको शामिल नहीं किया जाता है। यह पद पगड़ी देकर (पहनाकर) रस्म–अदायगी के साथ केवल पुरुषों को दिया जाता है।

**विशेष :** उपरोक्त सभी पद वंशानुगत हैं। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा उसके पद का वारिस या हकदार होता है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसी खानदान के किसी योग्य व्यक्ति को यह पद सौंपा जाता है। अयोग्य व्यक्ति को पदच्युत किया जाता है। उपरोक्त पदधारियों को कहीं–कहीं जीविका के लिए जमीन भी दिया जाता है। विशेषकर पुजारी पाहन के लिए। रांची जिला के लोहाजिमी क्षेत्र में वर्ष में एक बार 9 जून को गुड़िया पड़हा के मुंडा और पड़हा राजा मिलते हैं और जिस–जिस मौजा में मुंडा का पद रिक्त है, उस गांव में मुंडा स्थापित करने का या पगड़ी देने (पहनाने) का पर्व मनाया जाता है। कोलेबिरा क्षेत्र के मुंडा भी साल में एक बार मिलते हैं।

मुंडा, पड़हा-राजाओं ने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में आस्था जतायी है। सही विकास और न्याय पारपंरिक स्वशासन व्यवस्था के द्वारा ही किया जा सकता है। विकास के संबंध में मुंडाओं का कहना है कि यदि विकास के लिए गांव में मुंडा–पड़हा-राजाओं को राशि मुहैया करायी जाती तो सही अर्थों में गांव का विकास संभव हो पाता। गांव का पारंपरिक नेतृत्व गांव की सभा में विकास कार्य संबंधी बैठक कराकर गांव का विकास करेगा। पारंपरिक नेतृत्व की मजबूती के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए गांव के सामुदायिक भवन आदि में युवाओं को पारंपरिक नेतृत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। ❐

# भुईंहरी क्षेत्र

उरांव आदिवासी झारखंड में मुख्य रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इस प्रकार है – महतो (गांव का प्रधान), कोतवार (महतो का सहायक), पाहन (पुजारी–धार्मिक पूजा–पाठ), पुजार (पुजारी), पचोरा, पड़हा-राजा, पड़हा-दीवान।

1. **महतो :** गांव का प्रधान होता है और प्रशासनिक, न्यायिक तथा संपर्क पदाधिकारी होता है। वह ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है।
2. **कोतवार :** महतो का सहायक होता है। महतो के आदेशानुसार किसी भी मामले के संबंध में गांववालों को सूचित करता है।
3. **पाहन :** पाहन गांव के धार्मिक पर्व त्योहार में पूजा–पाठ करता है।
4. **पुजार :** पुजार कई गांवों का धार्मिक अनुष्ठान व पूजा–पाठ करता है।
5. **पड़हा-राजा :** पांच से पंद्रह गांवों के ऊपर एक पड़हा-राजा होता है।
6. **पड़हा-दीवान :** सभी पड़हा राजाओं के बीच एक पड़हा-दीवान होता है। जो सभी पड़हा राजाओं के बीच समन्वय रखता है।

## गांव के विवादों और मामलों का निपटारा

जब किसी व्यक्ति या परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो कोई एक पक्ष (शिकायतकर्ता के रूप में) महतो को विवाद या मामले के बारे में शिकायत करता है और बैठक बुलाकर उचित फैसला करने के लिए आग्रह करता है। महतो अपने कोतवार (सहायक) के द्वारा बैठक करने के लिए गांव वालों को सूचित करता है। दिन, समय और स्थान निश्चित कर बैठक की जाती है। बैठक में शिकायतकर्त्ता तथा आरोपित पक्ष की बातों को सुनने के लिए गांव के कुछ प्रमुख लोगों (बड़े-बुजुर्ग) को चुना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता गांव का महतो करता है। शिकायतकर्ता तथा आरोपित पक्ष की बात सुनने के बाद पंचों द्वारा विवाद पर तर्क–वितर्क किया जाता है। विचार–विमर्श के बाद, जो भी उचित लगे, सभा में फैसला सुना दिया जाता है। अगर कोई मामला या विवाद ग्राम में नहीं सुलझाया जा सका तो इसे गांव के महतो द्वारा पड़हा-राजा के पास ले जाया जाता है।

**दंड :** किसी भी मामले में विचार–विमर्श के बाद यदि किसी को दोषी पाया गया तो उसे दंड दिया जाता है। दंड का निर्णय सभा (पंच) द्वारा ही किया जाता है।

## गंभीर अपराध या हत्या के मामलों में

हत्या जैसे गंभीर मामलों को गांव में नहीं सुलझाया जाता है। ऐसे मामलों को गांव के महतो द्वारा थाना में अग्रसारित कर

दिया जाता है। छोटे–मोटे आपराधिक मामलों का निपटारा गांव में ही किया जाता है।

## जमीन–जायदाद का विवाद

जमीन जायदाद का विवाद भी पहले गांव के महतो द्वारा या ग्राम सभा द्वारा ही निपटाया जाता है। यदि ग्राम सभा में विवाद का निपटारा नहीं हो सका तो ऐसे मामलों को गांव के 'महतो' द्वारा 'पड़हा-राजा' के यहां भेज दिया जाता है।

## यौन अत्याचार के मामलों में

यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में पीड़ित महिला/लड़की या लड़की के माता–पिता या भाई द्वारा सबसे पहले गांव के महतो को जानकारी दी जाती है और गांव में सभा बुलाकर आरोपित व्यक्ति को दंड देने या लड़की को उसे सौंपने का आग्रह किया जाता है।

बैठक में पंच द्वारा शिकायतकर्त्ता की बात सुनने के बाद आरोपित व्यक्ति से इसके बारे में सफाई मांगी जाती है तथा गवाहों (यदि गवाह हो तो) से पूछ–ताछ की जाती है।

तीनों पक्षों को सुनने के बाद यदि आरोपित व्यक्ति को दोषी पाया जाता है और यदि मामला ज्यादा गंभीर न हो तो केवल आर्थिक दंड देकर मामले को समाप्त कर दिया जाता है। बलात्कार जैसे मामलों में यदि लड़का और लड़की दोनों राजी हों तो दोनों की शादी कर दी जाती है।

दोषी पाये जाने के बाद भी यदि आरोपित व्यक्ति पंच के

निर्णय को स्वीकार नहीं करता है तो उसका या उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।

**धार्मिक पर्व–त्योहारों में**

गांव के धार्मिक पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। 'महतो' की अध्यक्षता में ही गांव में मनाये जाने वाले पर्व–त्योहारों का दिन तय किया जाता है। 'करमा' त्योहार में महतो द्वारा ही सबसे पहले 'करम' वृक्ष की डाल गाड़ी जाती है। इसके बाद ही गांव के अन्य लोग 'करम' गाड़ते हैं।

**'महतो' और 'पड़हा-राजा' के बीच रिश्ता**

महतो, पड़हा-राजा के अधीन काम करता है। लेकिन किसी भी मामले में महतो के आग्रह के बिना हस्तक्षेप नहीं करता है। ❐

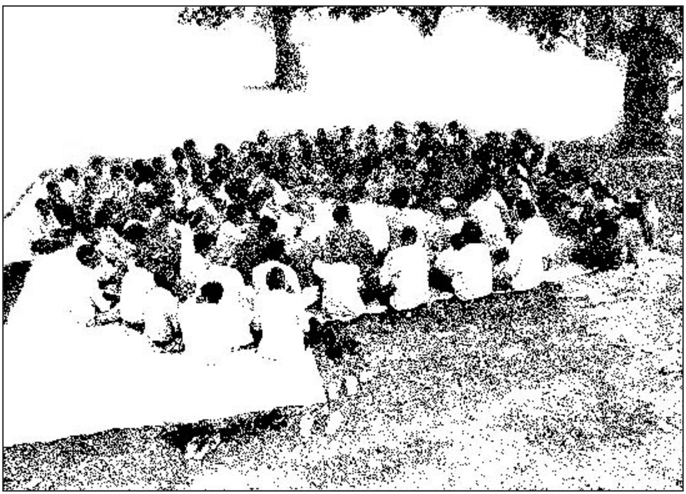

# खड़िया आदिवासियों की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था

खड़िया जाति के लोग गुमला तथा रांची जिले से लेकर उड़ीसा क्षेत्र तक में फैले हुए हैं। झारखंड में ज्यादातर लोग बीरु क्षेत्र (सिमडेगा) में हैं। इनका उद्‌गम स्थान रोःजंग बताया जाता है। खड़िया तीन प्रकार के होते हैं : पहाड़ी (हिल) खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया।

**खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इस प्रकार है -**

1. **महतो :** महतो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर 'महतो' की उपाधि दी जाती थी। यह 'वंशानुगत' पद है। परंतु गांववालों की सहमति से 'महतो' को बदलते भी हैं।
2. **पाहन :** वह व्यक्ति जो गांव के पर्व–त्योहारों में पूजा–पाठ करता है पाहन कहलाता है। यह पद भी वंशानुगत है, परंतु इसे भी बदला जा सकता है।
3. **करटाहा :** गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा–पाठ कर शुद्धिकरण (भात–भीतार) किया जाता है। शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति को 'करटाहा' कहते हैं।

## गांव के विवादों का निपटारा

गांव के झगड़ा-झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है जिसमें महतो, पाहन और गांव के बड़े-बुजुर्ग उपस्थित रहते हैं। सबों की सहमति से झगड़े का निपटारा किया जाता है, लेकिन सभा में गांव के महतो की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक का सभापतित्व महतो ही करता हैं। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से होता है। यदि निपटारा नहीं होता है तो पांच–छः गांव के लोग मिलकर निपटारा करते हैं। इसके ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आती है।

## जमीन–जायदाद के विवादों या बंटवारे में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

जमीन–जायदाद के विवादों, जैसै बंटवारा आदि के मामलों में महतो की भूमिका मुख्य होती है। महतो की पहल पर ही सभा बुलायी जाती है और बड़े-बुजुर्गों की उपस्थिति में जमीन–जायदाद का निपटारा किया जाता है।

## गांव के पर्व–त्योहारों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका

गांव के पर्व–त्योहारों या सार्वजनिक पूजा पाठ को महतो, पाहन और बड़े-बुजुर्ग ही तय करते हैं। कुछ पर्व–त्योहारों की तो निश्चित तिथि हुआ करती है, परंतु कुछ पूजा–पाठ गांव के पारंपरिक नेतृत्व और बुजुर्ग लोग मिलकर निश्चित करते हैं।

## गांव में विकास के कार्य

गांव में विकास कार्यों की योजना महतो के नेतृत्व में

बड़े-बुजुर्गों की सहमति से तय की जाती है।

## यौन संबंधी अपराधों, हत्या और अन्य गंभीर मामलों में

हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो और अन्य बड़े-बुजुर्ग करते हैं। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की से यौन संबंध रखना अपराध माना जाता है, इसके लिए 'समाज बाहर' की सजा दी जाती है। किसी व्यक्ति को क्षमा उसी समय दी जाती है जब वह शुद्धिकरण (भात भीतार) के लिए तैयार होता है। छोटे–छोटे अपराधों के लिए दूसरे प्रकार के दंड रखे गये हैं जिसका निर्णय गांव की सभा द्वारा किया जाता है।

## खड़िया डोकलो–सोहोर

पूरी खड़िया जाति के लिए एक खड़िया महासभा या खड़िया डोकलो की स्थापना की गई है। इस खड़िया डोकलो में गांव के महतो, पाहन और विशेष रूप से करटाहा रहते हैं। करटाहा लोग ही डोकलो का संचालन करते हैं। डोकलो के सभापति को 'डोकलो सोहोर' कहते हैं। डोकलो में 9 गोत्र के प्रमुख प्रतिनिधि–महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठा होते हैं। ये लोग साल में एक बार इकट्ठा होते हैं।

## गांव के विकास में, ग्राम को फंड मिलने पर

गांव को फंड मिलने पर यदि गांव के महतो के नेतृत्व में विकास की योजना बनती है तो विकास का काम सुचारू रूप

से संचालित हो सकता है।

## संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार

महिलाओं को जमीन–जायदाद पर अधिकार नहीं दिया जाता है। विधवा को भरण–पोषण के लिए जमीन दी जाती है। अविवाहित लड़की जो घर पर ही रह जाती है, उसे भरण पोषण के लिए जमीन दी जाती है।

## समाज में महिलाओं की स्थिति

खड़िया समुदाय में महिलाएं ग्राम की प्रमुख नहीं होती हैं। सभाओं में गांव की महिलाओं को पंच में बैठने का हक नहीं है। केवल गवाह के लिए उनको न्याय सभा में बुलाया जा सकता है। ❐

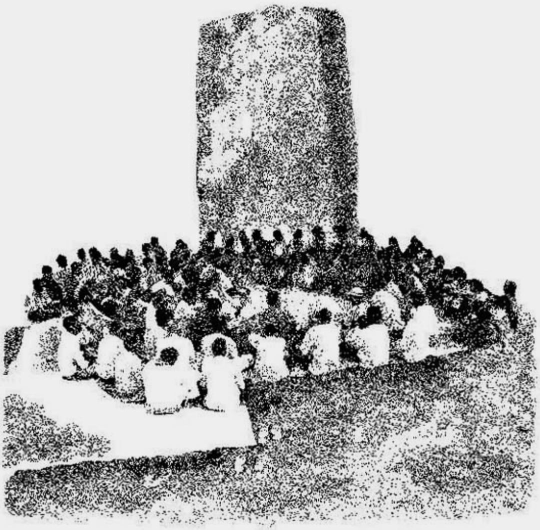

# पारंपरिक स्वशासन की कमियां

पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कम है। अन्य समुदायों को भाग लेने का मौका नहीं मिलता। आदिवासी क्षेत्र में यह केवल प्रमुख आदिवासी समूहों के पक्ष में ही प्रभावी है। पारंपरिक कानून निर्णय का केंद्र बिंदु है जो धार्मिक व नैसर्गिक ज्यादा है, तार्किक या वैज्ञानिक नहीं। डायन प्रथा, ओझागिरी जैसे अंधविश्वास, व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह, आदि भावनाओं में बहकर कई बार निर्णय लिये जाते हैं या दंड दिये जाते हैं। कई बार अंतर सामुदायिक विवाहों में भावावेश या संघर्ष के कारण दंड व सजा दिये जाते हैं।

**पारंपरिक प्रणाली को कमजोर करनेवाले प्रमुख कारक**

1. पारंपरिक प्रणाली को नयी पंचायती प्रणाली से काफी चोट पहुंच रही है क्योंकि नयी प्रणाली अंतर–ग्राम प्रकृति की है, जो पारंपरिक प्रणाली के समानांतर एक ढांचा के रूप में काम करती है। इसके पास ज्यादा भौतिक ताकत है, जिससे पारंपरिक व्यवस्था कमतर हुई है।
2. गांवों या इससे सटे इलाकों में शहरीकरण व औद्योगीकरण ने विस्थापन व प्रवजन को बढ़ावा दिया है, जिससे नयी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।
3. आधुनिक शिक्षा ने गांवों के लोगों का संपर्क अपने मूल क्षेत्र से काट दिया है। ज्यादा सुसंस्कृत व अभिजात्य बनने के चक्कर में ग्रामीण युवा अपनी माटी, गांव व संस्कृति

को हेय दृष्टि से देखते हैं।

4. सरकारी प्रशासन का हस्तक्षेप, आधुनिक नेतृत्व और बाहरी लोगों की बसाहट से स्थितियां पहले की तरह नहीं रह गयी हैं।

## पारंपरिक व्यवस्था में विवादों का निपटारा

यह प्रक्रिया प्रभावित पक्ष द्वारा गांव के प्रधान या मुखिया को शिकायत बता कर होती है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुखिया या प्रधान अपने सहायक को ग्रामसभा या परिषद के अन्य सदस्यों तथा लोगों को तथा आरोपी पक्ष को अखड़ा या ऐसी ही किसी जगह बैठक करने के लिए निर्देश देता है। बैठक में सभी बुजुर्ग व सम्मानित जनों के बीच शिकायतकर्ता व आरोपी पक्ष के बीच सुनवाई होने के बाद ग्राम प्रधान या मुखिया पंचों से परामर्श के बाद सर्वसम्मति से फैसला देता है। अपराध या दोष के अनुसार सजा दी जाती है, जो सख्त मामलों में सामाजिक बहिष्कार से लेकर आम मामलों में सामान्य जुर्माना तक हो सकती है। ग्राम सभा के स्तर पर फैसला नहीं होने पर विवाद को इससे उच्चतर यानी अंतरग्राम परिषद या पंचायत में भेज दिया जाता है, जैसे संतालों में देसमांझी, हो में मानकी, मुंडाओं व उरांव में पड़हा-राजा आदि। यहां भी विवाद का निबटारा नहीं होने की स्थिति में संतालों में परगनैत, हो में तीन–मानकी तथा उरांवों में पड़हा-राजा के पास भेजा जाता है, जो अंतिम निर्णय देते हैं। संतालों में अपील की अंतिम अदालत

'लो–बीर' होती है, जिसे संतालों में बहुत सम्मान प्राप्त है।

**पारंपरिक स्वशासी व्यवस्थाओं में ग्रामसभा की कार्यवाहियों का दस्तावेजीकरण/डॉक्यूमेंटेशन :** इस प्रकार की कार्यवाहियां अधिकतर नहीं होती। निर्णय सर्वानुमति से और सभी की भागीदारी से होता है। ऐसे में मौखिक रिकॉर्ड को समुदाय में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जुर्माने को तुरंत वसूला जाता है और इसे जल्द ही गांव के काम या सामूहिक भोज आदि में खर्च कर दिया जाता है। इसलिए इसका कोई लेखा–जोखा या रसीद संग्रह कर रखने की कोई परंपरा नहीं होती। हालांकि 1996 की एकजुटता के बाद से ग्राम सभाओं में रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है।

**चंदा/अंशदान या मदद :** सामुदायिक अंशदान दो प्रकार के हैं : एक समुदाय के रीति–रिवाजों व पूजा आदि के लिए, जिसे समुदाय की बैठक के दौरान तय किया जाता है। जबकि दूसरा अंशदान विवाह या मृत्यु आदि के मौकों पर जुटाया जाता है। समुदाय के हरेक परिवार से अनाज या नकद लेकर काम चलाया जाता है। इसी तरह कमजोर या जरूरतमंदों को भी आर्थिक या संसाधनगत मदद दी जाती है। जैसे किसी के घर की मरम्मत, विधवाओं के छोटे बच्चों या असहाय बूढ़े-बूढ़ी की देखरेख आदि।

**कृषि में 'मदइत' यानी सामूहिक मदद :** पारंपरिक आदिवासी समाजों में सामुदायिक मदद यानी 'मदइत' की प्रथा कृषि से जुड़ी है। गर्मियों में बांध की मरम्मत, सामुदायिक

तालाब को दुरुस्त करना, बिचड़ा रोपना, खेती करना, फसल की देखरेख आदि बिना किसी वेतन या आर्थिक अदायगी के, मदद के रूप में की जाती है। इसके बदले हंड़िया व भात/चावल आदि दिये जाते हैं। हालांकि अब यह प्रथा खत्म हो रही है। मदद की जगह नकद पैसों के भुगतान ने ले ली है। हालांकि ग्राम सभाएं पहले की तरह मजदूरी का निर्धारण, वनोपज का बंटवारा, चरागाह व जलावन की मात्रा तय करने के काम करने में लगी हुई हैं। वनोपज जैसे फल, कंद–मूल आदि छोटे समूहों में इकट्ठा कर आपस में बराबर बांटे जाते हैं। सामूहिक शिकार की प्रथा अब भी संताल आदि कुछेक आदिवासी समुदायों, खासकर गांव व जंगल से सटे देहातों में जैसे–तैसे जीवित है। सामूहिक शिकार का दिन तय होने पर शिकार किये गये पशुओं को सबमें बराबर बांटा जाता है।

**पारंपरिक प्रणाली और आधुनिक प्रणाली में भागीदारी :** देखा जा सकता है कि पारंपरिक व्यवस्था प्राकृतिक, स्वैच्छिक और स्वतःस्फूर्त है, जबकि आधुनिक प्रणाली सतही व बाहर से थोपी हुई है। सदियों से आदिवासियों ने एक तरह से कुछ मूल्य–संस्कार, सजा व ईनाम के प्रावधान तैयार किये हैं, ताकि सबकी भागीदारी हो। बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के कारण पुरातन व्यवस्था व चीजें आभा खो रही हैं। अध्ययन के फील्ड वर्क के दौरान आदिवासी बहुल देहाती इलाकों में पारंपरिकता व भागीदारी ज्यादा बेहतर दिखी है, वहीं दूसरी ओर शहरी तथा कस्बाई क्षेत्रों से सटे इलाकों में ये कुछ ही हद तक हैं, और

इनमें बाहरी चीजों का घालमेल हो गया है। लेकिन एक बात तय है कि आज भी पारंपरिक चीजें आधुनिक समाज को कई चीजें सिखाने में सक्षम हैं।

**पारंपरिक प्रणाली और आधुनिक प्रणाली में भागीदारी**

| क्रम संख्या | पारंपरिक शासन प्रणाली | आधुनिक प्रणाली |
|---|---|---|
| 1. | भागीदारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्य प्रणाली में अंतर्निहित है। | भागीदारी केवल बाहरी प्रणाली भर है |
| 2. | यहां भागीदारी स्वैच्छिक, प्राकृतिक और स्वतःस्फूर्त किस्म की है। | यहां भागीदारी मतलबी और सतही किस्म की है, चाहे वह संस्थागत आधारित हो या फिर विकास योजना पर टिकी। |
| 3. | भागीदारी सामुदायिक आधारित है, जहां एक खास परिवार सीधे तौर पर संबंधित या जिम्मेवार है। | यहां भागीदारी या तो लाभुक केंद्रित या फिर परिवारों के समूह पर आधारित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | शासन में भागीदारी प्रत्यक्ष व 'आमने– सामने' प्रकृति की होती है। | यह अप्रत्यक्ष व प्रतिनिधित्वमूलक है। |
| 5. | भागीदारी लोगों के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होती है। | यह केवल परियोजना केंद्रित है। |
| 6. | भागीदारी सहभागिता व सहयोगपूर्ण है। | यह केवल प्रतिस्पर्द्धात्मक उपाय का एक भाग है। |
| 7. | भागीदारी मनोरंजन, आमोद–प्रमोद, सामुदायिक पर्व के नृत्य व गीतों के जरिये होती है। | भागीदारी यांत्रिक है। |

❏❏❏